an>

Title: Regarding Premium paid by farmers for crop insurance.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद बलरामपुर में बैंकों द्वारा किसानों के साथ किए गए धोखे की तरफ आकृÂट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बैंकों को किसानों का मित्र बनाना चाहते हैं और इस दिशा में भारत सरकार ठोस प्रयास भी कर रही है। लेकिन उन्हीं बैंकों के द्वारा किसानों के साथ धोखा करने का काम किया गया है,, बल्कि मैं यदि यह कहूं कि अमानत में खयानत करने का काम किया है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

महोदय, हमारे जनपद बलरामपुर में 1,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं और केसीसी धारक किसानों की फसलें बीमित होती हैं। केसीसी करते समय ही बैंकर उसका बीमा करके प्रीमियम काट लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014-2015 की खरीफ की फसल के लिए बैंक ने बीमा कंपनी को मात्र 64 किसानों का प्रीमियम भेजा था और प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2014 थी। 15 अगस्त, 2014 को नेपाल द्वारा छोड़े गये पानी के माध्यम से जो भीÂाण बाढ़ आई, उसमें लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम न जमा करने वजह से उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।

इसी तरह से रबी की फसल में भी मात्र 1,00,276 किसानों का प्रीमियम जमा किया गया, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल सका। केसीसी धारकों के अलावा भी पचास हजार किसान बीमा कराये हुए हैं, लेकिन उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सका।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि कड़े कानून के तहत बैंकों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की लापरवाही का खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े, बल्कि बैंक की लापरवाही पर बैंकों को स्वयं ही क्षतिपूर्ति उसी तरह करना पड़े, जैसे कि बीमा कंपनियां करती हैं।